न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 15 / 2021

दायरा दिनांक :— 18.08.2021

अपीलार्थीः—	बनाम	प्रतिवादीगणः—
1. जीवनसिंह पुत्र श्री जुहारसिंह जी जाति राजपूत निवासी सादड़ा तहसील बाली जिला पाली राज		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली जिला पाली

उपस्थितिः—

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 26.07.2021 जिसे तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण संख्या 365 / 21 अन्तर्गत धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम सरकार बनाम जीवनसिंह में पारित किया।

—:निर्णयः— दिनांक 22/6/2022

1. अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोडेंट्स के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरूद्व जालमसिंह व अन्य के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पटवार सादड़ा व भू अभिलेख निरीक्षक मुण्डारा की कथित रिपोर्ट दिनांक 08.06.2021 के आधार पर खसरा नम्बर 0.08 हैक्टयर भूमि पर सीमेन्ट के पोल रोपकर तारबन्दी कर नाजायज कब्जा ग्राम सादड़ा में करना बताकर 91 भू. राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने का निवेदन करते हुए प्रस्तुत की जिस पर दिनांक 08.06.2021 को जिस दिन रिपोर्ट पेश हुई उसी दिन प्रकरण में धारा 91 के तहत दर्ज कर नोटिस जारी कर दिनांक 18.06.2021 की पेशी नियत किये जाने का आदेश प्रदान किया।
2. यह है कि अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना व अपीलार्थी का जवाब लिये बिना मनमानी करते हुए अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा पेश आवेदन दिनांक 26.07.2021 पर आदेश किये बिना व बिना किसी आधार के अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली का आदेश पारित कर सालना लगान 0.56 पैसे का राउण्ड अप 1 रूपये का 50 गुणा रूपये 50/— अक्षरे पच्चास रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया।
3. यह है कि दिनांक 26.07.2021 की आदेशिका में अधिनस्थ न्यायालय ने एंव जालमसिंह व अन्य से मिलावट करके अपनी मनमर्जी से मनमानी करते हुए विधि विरूद्व तरीके से आदेशिका अंकित की कि गैर सायल उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जवाब सामिल पत्रावली किया गया एंव गैर सायल ने उपस्थित होकर अतिक्रमण होना स्वीकार किया जबकि गैर सायल का न तो जवाब लिया गया और न ही गैर सायल ने अपना अतिक्रमण स्वीकार किया, जबकि गैर सायल ने एक आवेदन

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

श कर पेमाईश करवाने का निवेदन किया था उस पर आदेश किये बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया, जबकि गैर सायल का कभी खसरा नम्बर 787 की भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है गैर सालय ने दिनांक 18.06.2021 को एक आवेदन पेश कर प्रकरण के साथ पटवारी द्वारा पेश रिपोर्ट का आपत्ति करते हुए पुनः गैर सायल की भूमि का सीमाकंन करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकार कर पटवार हल्का सादडा व भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गुण्डारा से पुनः रिपोर्ट पेश करने का आदेश पारित किया था उक्त पत्रावली इन्तजार रिपोर्ट व जवाब में नियत थी दिनांक 26.07.2021 को रिपोर्ट प्राप्त नही हुई थी गैर सायल पेशी पर उपस्थित हुआ था रिपोर्ट प्राप्त नही होने पर गैर सायल को खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाकर पेशी जवाब इन्तजार रिपोर्ट के लिए आगे मुकर्रर करने के लिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कहा गया था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने तारीख पेशी आगे मुकर्रर नही करके बाले–बाले विधि विरूद्व तरीके से गैर सायल को सबूत साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पृथक से निर्णय दिखाये बिना ही आदेशिका में साईक्लो स्टाईल में निर्णय पारित कर दिया, उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी की अपील निम्न वर्णित आधारों पर प्रस्तुत है–

आधार अपील

1. यह है कि अपीलाधीन आदेश/निर्णय विधि एंव तथ्यों के विपरित मनमाना, अनुचित अनियमित प्रक्रिया में पारित होने प्रक्रिया एंव प्रतिपादित एंव सुस्थापित विधि के विपरित होने से रद्द किये जाने योग्य है।
2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए लेकिन उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना एंव जवाब लिये बिना आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व है अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 786 का नाप चौक करवाने के लिए आवेदन पेश किया था एंव निवेदन किया था कि पैमाईश करवाकर सही सीमाकंन करवावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने जान बूझकर सीमाकंन अपीलार्थी की उपस्थिति में नही करवाया है, भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपने अन्दाज से कार्यालय में बैठकर ही मौका देखे बिना मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश कर दी उसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व तरीके से प्रकरण दर्ज कर जैर अपील आदेश पारित कर दिया, जो अपास्त योग्य है।
3. यह है कि अपीलार्थी ने दिनांक 26.07.2021 को अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया था कि खसरा नम्बर 786 अपीलार्थी की खातेदारी की है, व खसरा नम्बर 787 गैर मुमकीन रास्ता है जो अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के पास से निकलता है, उक्त रास्ता या गै.मु. गोवा की भूमि अपीलार्थी ने कभी भी किसी रूप से अतिक्रमण नही किया है, अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में अपीलार्थी की और से तारबन्दी की हुई है एंव वर्तमान में अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में फसल

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

ई हुई है एंव बारिश का मौसम है इसलिए बारिश के मौसम में पैमाईश नही हो सकती हैद्व फसल कटने के बाद आर.आई महोदय से मेरी खातेदारी भूमि का सीमाकंन व पैमाईश करावें उक्त प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड पर नही लेकर मात्र सामिल पत्रावली कर दिया एंव नजर अन्दाज करते हुए उस पर किसी प्रकार का आदेश पारित किये बिना व अपीलार्थी का जवाब लिये बिना विधि विरूद्व तरीके से अपीलार्थी को साक्षय सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित कर दिया, अधिनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि की पैमाईश कर विधि अनुसार आदेश पारित करना था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने जालमसिंह व अन्य के साथ मिलावट करके जैर अपील आदेश पारित किया है, इस कारण से भी जैर अपील आदेश अपास्त योग्य है।

4. यह है कि कथित रूप से पटवारी की रिपोर्ट बताई गई है परन्तु पटवारी की रिपोर्ट के समर्थन में न तो राजस्व रेकर्ड न ही नक्शा ट्रेस पत्रावली पर प्रस्तुत किया है न ही सरकारी भूमि गैर मुमकीन गोवा की वर्तमान एंव पूर्व की चौडाई को स्पष्ट किया है एंव सरकारी भूमि कैसे है उसको भी स्पष्ट नही किया है, जिससे प्रथम दृष्टया ही अतिक्रमण मानने का कोई आधार नही था इसके साथ ही कथित रिपोर्टकर्ता को साक्ष्य हेतु रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्तुत नही करने से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक रूप से अतिक्रमण का संज्ञान योग्य कोई प्रकरण ही नही था प्रथम दृष्टिया प्रकरण खारिज होने योग्य था इसके विपरित रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन ने आदेश/निर्णय के द्वारा बेदखली आदी के आदेश प्रदान कर विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जो रद्द किये जाने योग्य है।

5. यह है कि अपीलार्थी का सरकारी या गोवा की भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नही रहा है, खसरा नम्बर 787 की भूमि के पास में ही अपीलार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 786 स्थित है अपीलार्थी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपनी खातेदारी भूमि के अनुरूप ही मौके पर काबिज है, खसरा नम्बर 787 की भूमि पर अपीलार्थी ने कभी भी अतिक्रमण नहीं किया हैं एवं न ही कभी अपीलार्थी का अतिक्रमण रहा है, अपीलार्थी के विरूद्व गलत तथ्यों के आधार पर प्रकरण बनाया है एंव अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

6. यह है कि जालमसिंह व अन्य अपीलान्ट के खेत के उपर की दिशा के पड़ौसी खातेदारी है एंव अपीलार्थी से रंजिश रखते है इन खातेदारों ने पटवारी से मिलावट कर गलत एंव झुठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व उक्त प्रकरण दर्ज करवाया है, जबकि खसरा नम्बर 787 पर जालमसिंह व अन्य खातेदारों का अतिक्रमण है लेकिन पटवारी उनके प्रलोभन में आकर उनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही कर रहा है एंव उनसे मिलावट करके अपीलार्थी के विरूद्व झुठा प्रकरण दर्ज करवाया है इस कारण से भी अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्टिया अपास्त योग्य है।

7. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के सिद्वान्तों को ताक पर रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टिया अवैध है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साईक्लो स्टाईल से आदेशिका में ही आदेश पारित किया है, खसरा नम्बर 787 रकबा 0.08 हैक्टेयर पर

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

पीलान्ट का संवत 2078 में सीमेन्ट के पोल रोपकर व तारबन्दी कर कब्जा करना बताया है जबकि अपीलान्ट की तारबन्दी अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 786 में की हुई है, एंव वह 20 वर्ष पुरानी की हुई है। खसरा नम्बर 787 की भूमि पर अपीलान्ट का कभी भी अतिक्रमण व कब्जा नही रहा है अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक माईण्ड अप्लाई किये जैर अपील आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य है।

8. यह है कि अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना व अपीलान्ट का जवाब दिये बिना अपीलान्ट द्वारा पेश आवेदन दिनांक 26.07.2021 पर आदेश किये बिना जैर अपील आदेश पारित कर दिया जबकि विधि का प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार प्रकरण में किसी भी पक्षकार द्वारा इस आवेदन का निस्तारण करने के बाद ही यह अन्तिम निर्णय पारित किया जा सकता है, लेकिन उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र को शामिल मिसल कर दिया एंव उस पर कोई आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलान्ट की तारबन्दी अपीलान्ट के खातेदारी कृषि भूमि में की हुई है खसरा नम्बर 787 की कृषि भूमि पर अपीलान्ट का कभी भी अतिक्रमण नही रहा है, इस कारण भी जैर अपील आदेश अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश/निर्णय दिनांक 26.07.2021 को अपास्त किया जावें एंव अधिनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त की जाकर अपीलान्ट के विरूद्व प्रकरण ड्रोप किये जाने के आदेश पारित फरमावें।

9. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
10. वकील अपीलांट ने जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया जिस पर राजकिय अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति जाहिर की। बहस उभय पक्ष सूनी गई।
11. वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मिमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए लेकिन उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना एंव जवाब लिये बिना आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व है अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 786 का नाप चौक करवाने के लिए आवेदन पेश किया था एंव निवेदन किया था कि पैमाईश करवाकर सही सीमाकंन करवावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने जान बूझकर सीमाकंन अपीलार्थी की उपस्थिति में नही करवाया है, भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपने अन्दाज से कार्यालय में बैठकर ही मौका देखे बिना मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश कर दी उसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व तरीके से प्रकरण दर्ज कर जैर अपील आदेश पारित कर दिया, जो अपास्त योग्य है।
12. वकील अपीलांट ने द्वितिय तर्क दिया कि अपीलार्थी ने दिनांक 26.07.2021 को अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया था कि खसरा नम्बर 786 अपीलार्थी की खातेदारी की है, व

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

सरा नम्बर 787 गैर मुमकीन रास्ता है जो अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के पास से निकलता है, उक्त रास्ता या गै.मु. गोवा की भूमि अपीलार्थी ने कभी भी किसी रूप से अतिक्रमण नही किया है, अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में अपीलार्थी की और से तारबन्दी की हुई है एंव वर्तमान में अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में फसल बोई हुई है एंव बारिश का मौसग है इसलिए बारिश के मौसम में पैमाईश नही हो सकती हैद्व फराल कटने के बाद आर.आई गहोदय से गेरी खातेदारी भूमि का सीमाकंन व पैगाईश करावें उक्त प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड पर नही लेकर मात्र सामिल पत्रावली कर दिया एंव नजर अन्दाज करते हुए उस पर किसी प्रकार का आदेश पारित किये बिना व अपीलार्थी का जवाब लिये बिना विधि विरूद्व तरीके से अपीलार्थी को साक्षय सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित कर दिया, अधिनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि की पैमाईश कर विधि अनुसार आदेश पारित करना था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने जालमसिंह व अन्य के साथ मिलावट करके जैर अपील आदेश पारित किया है, इस कारण से भी जैर अपील आदेश अपास्त योग्य है।

13. वकील अपीलांट ने तृतिय तर्क दिया की हल्का पटवारी की रिपोर्ट के समर्थन में न तो राजस्व रेकर्ड न ही नक्शा ट्रेस पत्रावली पर प्रस्तुत किया है न ही सरकारी भूमि गैर मुमकीन गोवा की वर्तमान एंव पूर्व की चौडाई को स्पष्ट किया है एंव सरकारी भूमि कैसे है उसको भी स्पष्ट नही किया है, जिससे प्रथम दृष्टया ही अतिक्रमण मानने का कोई आधार नही था इसके साथ ही कथित रिपोर्टकर्ता को साक्ष्य हेतु रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्तुत नही करने से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक रूप से अतिक्रमण का संज्ञान योग्य कोई प्रकरण ही नही था प्रथम दृष्टिया प्रकरण खारिज होने योग्य था।

14. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दोरान निवेदन किया कि भु अभिलेख निरीक्षक भुण्डारा की रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट ने मौजा ग्राम सादड़ा, तहसील बाली के खसरा नम्बर 787 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म गै. मु. गोवा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा था। इस पर कार्यवाही करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् प्रकरण संख्या 365/2021 दर्ज किया गया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 26.07.2021 को अपीलाण्ट को उक्त आराजी से बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.07.2021 विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावें।

15. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेखों का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अवगत कराया की अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना एंव जवाब लिये बिना आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व है अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 786 का नाप चौक करवाने के लिए आवेदन पेश किया था एंव निवेदन किया था कि

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

ाईश करवाकर सही सीमाकंन करवावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने जान बूझकर सीमाकंन अपीलार्थी की उपस्थिति में नही करवाया है, भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपने अन्दाज से कार्यालय में बैठकर ही मौका देखे बिना मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश कर दी। भु अभिलेख निरीक्षक मुण्डारा की सीमांकन फर्द रिपोर्ट दिनांक 09.07.2021 पर स्वयं भु अभिलेख निरीक्षक के अतिरिक्त अन्य किसी भी मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं किये हुए हैं जिससे जाहिर होता हैं कि भु अभिलेख निरीक्षक मुण्डारा द्वारा उक्त रिपोर्ट मौके पर जाकर अपीलांट व अन्य किसी मौतबिरान के समक्ष सही सीमांकन कर नहीं बनायी गयी हैं।

16. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था।

17. प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से स्पष्ट हैं कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.07.2021 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अभी वर्षा का मौसम हैं तथा फसल बोने का समय हैं जिससे अभी सही सीमांकन नहीं हो सकता हैं। फसल कटाई के बाद अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 786 व सीवायचक भूमि खसरा नम्बर 787 का सीमांकन करवाकर सही स्थिति मौके पर अपीलांट के समक्ष बताने के आदेश करावे ताकि सही स्थिति मालुम होने पर सही सीमा पर तारबंदी करवा दुंगा। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया और न ही अपीलांट के रूबरू अपीलांट की खातेदारी भूमि 786 व सीवायचक भूमि 787 का सीमांकन करवाया गया।

18. यह हैं कि बिना सीमांकन करवाये यदी अपीलांट मौके से बेदखल किया जाता हैं तो उसे अपूर्णय क्षती होने की पूर्ण संभावना हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधिन ओदश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण संख्या 365/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2021 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार बाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट के रूबरू अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 786 सही सीमाकंन करने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बाली को तहरीर के साथ भेजी जावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)